कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0,सहिया देहरादून
Office of the Executive Engineer, Ty.Divl., PWD, Sahiya, Dehradun Uttarakhand
Phone/ Fax:- 01360-276595 E-mail: eepwdsahiyakalsi@gmail.com
Web-http://uk.pwd.gov.in

पत्रांक 1235/6सी0 दिनांक 29/7/2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून
उत्तराखण्ड।

विषयः— मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0— 786/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकास खण्ड कालसी में ग्राम लखस्यार से (समरजेन्स रोड) से मुवानी छानी लुधेरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.24 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।
ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या— FP/UK/Road/11134/2015

संदर्भः— सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्र सं0—8बी/यू.सी.पी./06/115/2020/एफ.सी./1362 दिनांक 29/09/2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग का सैद्धान्तिक स्वीकृति सन्दर्भित पत्र द्वारा प्राप्त है। प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र संख्या 960/6सी0 दिनांक 30.06.2023 द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु प्रभागीय वनाधिकारी चकराता, वन प्रभाग चकराता को प्रेषित **(छायाप्रति संलग्न)**। परन्तु उक्त कार्य परिवेश पोर्टल में फार्म A स्टेज।। में प्रदर्शित नहीं हो रहा है। उक्त सम्बन्ध में पूर्व में भी इस कार्यालय के पत्र संख्या 709/6सी0 दिनांक 28.05.2024 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है।

अतः पुनः आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त के संबंध में आप अपने स्तर से विषयक प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें, ताकि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पोर्टल पर अपलोड की जा सकें।

अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0, लो0नि0वि0,सहिया

पत्रांक / दिनांक /07/2024

प्रतिलिपिः— प्रभागीय वनाधिकारी चकराता, वन प्रभाग चकराता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः— जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः— अधीक्षण अभियन्ता, 9वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः— सहायक अभियन्ता द्वितीय, अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः— वनभूमि सहायक/खण्डीय अमीन, अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0, लो0नि0वि0,सहिया

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया

Office of the Executive Engineer, Ty.Divi., PWD, Sahiya, Dehradun Uttarakhand

Website- http://pwd.uk.gov.in E-mail: eepwdsahiyakalsi@gmail.com

पत्रांक : 960 /6सी0 दिनांक 30/ 06/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग चकराता,
कालसी,

विषयः– **मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या 786/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता विकासखण्ड कालसी मे ग्राम लखस्यार (समरजेंस रोड) से मुवानी छानी लुधेरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.240 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।**

सन्दर्भः– सैद्वान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्र सं0–8बी/यू.सी.पी./06/115/2020/एफ.सी./1362 दिनांक 29/09/2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सदर्भित पत्र के कम मे आपको अवगत कराना है कि उक्त वर्णित मार्ग में वनभूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्र सं0–8बी/यू.सी.पी./06/115/2020/एफ.सी./1362 दिनांक 29/09/2020 के द्वारा प्राप्त हो चुकी है। उक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित कि जा रही है।

क0 स0	बिन्दु जिनकी सूचना चाही गयी है	बिन्दुवार सूचना का विवरण
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	मान्य हैं।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	मान्य हैं।
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः–** (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण कीं लागत पर 4.480 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम लोहारना सिविल खसरा नं0 35,36,37,38 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग से पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित /संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। (ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	वन विभाग द्वारा अनुपालन की कार्यवाही की जानी है। वन विभाग के नाम हस्तान्तरण, नामान्तरण कर दिया गया है। वनविभाग के नाम नामान्तरण, हरतान्तरण कर किया गया है।

4	**शुद्व वर्तमान मूल्य :** (क) इस संबध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5 –1/1998–एफ.सी.(Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.240 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदी कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	वांछित शुद्व वर्तमान मूल्य (NPV) जमा किया जा चुका हैं। (संलग्न) लागू नही हैं।
5	प्रयोक्त अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 8 वृक्षों अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	अनुपालन किया जाएगा।
6	State govt. Will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guideline para ii.2 the satate Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expire of one year from the date of issue of such permission.	अनुपालन हेतु अंकित।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई– पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	वन विभाग द्वारा अनुपालन की कार्यवाही की जानी है।
8	एफआरए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	तदानुसार ही FRA प्रेषित।
9	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	अनुपालन किया जाएगा।
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	अनुपालन किया जाएगा।
11	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा।
12	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा।
14	संबधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	सीमांकन किया गया है।
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा।

16	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा।
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा।
18	केन्द सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जाएगी।	मान्य हैं।
19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंधन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंधन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	मान्य हैं।
20	पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	मान्य हैं।
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियो के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारों बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षो की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	मान्य हैं।
22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	मान्य हैं।
23	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जाएगां।

अतः उक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करे।

संलग्न!- खतौनी की छायाप्रति।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया

9८